

कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक: सीएफओ/एन/एचएलडी/2025-28
सेवा में,

अधिकारी जनपद

ईमेल—cfontl.ukfs@gmail.com
नैनीताल (हल्द्वानी)
दिनांक: सितम्बर 2025

OWNER/MANAGER,
RCP EDUCATIONAL SOCIETY
BARIA POKHRA DEWALCHOUR RAMPUR ROAD HALDWANI
DISTT-NAINITAL,

विषय : अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर-87962961, दिनांक: 10.09.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन RCP EDUCATION SOCIETY BARIA POKHRA DEWALCHOUR RAMPUR ROAD HALDWANI जनपद-नैनीताल का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण (सभी मापदण्ड यथा भवन निर्माण उपविधि उत्तराखण्ड शासन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार) अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन हल्द्वानी द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.09.2025 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु एबीसी टाईप 04 किग्रा क्षमता के 12 अदद, सीओडू टाईप 4.5 किग्रा के 04 अदद, फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील मय फिटिंग्स 04 अदद, 50 हजार लीटर क्षमता को भूमिगत व 10 हजार लीटर क्षमता का अण्डर ग्राउन्ड वाटर टैंक स्थापित किया गया है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से शैक्षणिक भवन उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

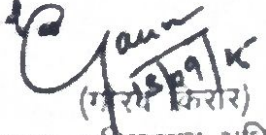
निर्देशित किया जाता है कि विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड- 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व: घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति आख्या के आधार पर RCP EDUCATION SOCIETY BARIA POKHRA DEWALCHOUR RAMPUR ROAD HALDWANI जनपद-नैनीताल को व्यवसायिक भवन का (ब्लॉक की संख्या 01, तलों की संख्या 03 जिसमें 32 कमरें हेतु) प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक: सितम्बर 16 2025 से 15 सितम्बर 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये:-

- 01 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
- 02 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- 03 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को सदैव अग्निनिरोधक उपाय करते रहना चाहिए।
- 04 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाएगा।
- 05 संस्थान के विस्तार या लीज की समाप्ति पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- 06 इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
- 07 भूमि भवन के सम्बन्ध में किसी सक्षम अधिकारी/व्यक्ति द्वारा आपत्ति किये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- 08 संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2018 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक।
- 09 शैक्षणिक भवन/संस्थान का प्रयोग अन्य किसी भी व्यवसायिक गतिविधियों के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

Anjana

Secretary
RCP EDUCATIONAL SOCIETY


(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।